न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी:–

अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. तारादेवी पत्नि सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
2. मुकेश पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
3. मनीष पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
4. योगेश पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
5. राकेश पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
6. रामेश्वर लाल पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
7. ममता पत्नि अशोक कुमार जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां।
8. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार नावां।

दावा वास्ते भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री महावीर प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

मुकदमा नम्बर: 156/2023 निर्णय दिनांक:– 19.01.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 2.18 हैक्टर किस्म चाही 3 जाव 3 स्थित है। उपर्युक्त भूमि ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि में वादी अशोक कुमार का पूर्व में 1/4 हिस्सा अंकित था लेकिन वादी ने अपने सगे चाचा गोपालराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा पोस्ट भांवता से जरिये रजिस्टर्ड पंजीयन दिनांक 27.12.2021 को विक्रेता के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जिस कारण वर्तमान में वादी का आजदिन 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 तारादेवी का 243/10900 हिस्सा व प्रतिवादी मुकेश कुमार का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी मनीष का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी योगेश कुमार का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी राकेश का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी ममता का 151/5450 हिस्सा व प्रतिवादी रामेश्वर लाल का 1/4 हिस्सा की भूमि का काबिज कृषक खातेदार चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी भूमियों का आपसी सुविधा एवं सहमति से काफी वर्षों पूर्व विभाजन कर मौके पर बाट लिया था तथा अपनी भूमि के चारों तरफ कच्ची पक्की सीव माठ कायम कर [illegible] वादी ने अपने कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारों की भूमि में रहवासी [illegible] निवास कर रहे है एवं अपनी अपनी आराजी पर काबिज होकर निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त कर अपनी आजीविका का निर्वहन करने लग गये। [illegible] मौके पर मुताबिक [illegible] नक्शानुसार विभाजन कर लिया है जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र में पेश किया। उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी की दर्ज होने के कारण वादी को अपनी भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

बेहतरीन उपयोग उपभोग में काफी परेशानियां हो रही है तथा राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले विभिन्न योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। वादी अपनी उक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि का विभाजन हेतु वाद पत्र लाना लाजमी हुआ। वादी अपने खातेदारी अधिकारों में दर्ज संयुक्त रूप से कुल रकबा 2.18 हैक्टर में से 1/2 हिस्से की भूमि को लाखों रूपया लगाकर काफी उपयोग एवं उपजाउ बनाया है। वादी उक्त भूमि मौके पर नजरी नक्शानुसार चली आ रही है। वादी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की उक्त भूमि के स्पष्ट विधिवत भू–विभाजन मुताबिक नजरी नक्शानुसार करवाकर अपनी खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित भूमि की पृथक जोत कायम करवाने के कानूनी मुश्तहक है। वादी ने प्रतिवादीगण को विधिवत भू–विभाजन करने हेतु कहा तो इतने दिन तो आश्वासन देने रहे तथा अब वादी को स्पष्ट मना कर दिया है तथा मौके से बेदखल कर मौका स्थिति में हेरफेर करने पर आमादा हो रखे है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जान आवश्यक है कि वह स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत वादी के उपरोक्त कब्जाकाश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि में दखल नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 सह खातेदार होने से व प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिनिधि राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 2.18 हैक्टर किस्म चाही 3 जाव 3 भूमि में वादी की 1/2 हिस्से की भूमि का मुताबिक वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार भूमि के विधिवत स्पष्ट भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर वादी की पृथक जोत कायम करने हेतु तहरीर तहसीलदार नावां को जारी करने एवं वादी की उक्त 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत दखल नहीं करे, नीव सीव के साथ छेडछाड नहीं करे व मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करे व वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूराम कुमावत ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद पत्र की माफिक इस्तदुआ वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 7 को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज नही है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी संवत 2076 से 2079 पेश की जो प्रदर्श पी 1 है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.2 गवाह विष्णुदत्त शर्मा पुत्र मुलचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पांचोता तहसील नावां, पी.डब्ल्यू.3 गवाह अजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा जाति ब्राह्मण हाल निवासी केरपुरा तहसील नावां, पी.डब्ल्यू.4 गवाह मनोहर लाल पुत्र पूसाराम जाति ब्राह्मण निवासी केरपुरा तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि में वादी की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 2.18 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:57:37 IST
Reason: SelfAttested